# बिहार सरकार

# पर्यावरण एवं वन विभाग

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारं□ी अधिनियम, 2005(मनरेगा) अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जल संरक्षण एवं जल संचय, सूखारोधि(वन रोपन, वृक्षारोपन सहित), मृदा-नमी संरक्षण, फार्म फौरेस्ट्री तथा एग्रो फौरेस्ट्री संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अभिसरण हेतु मार्ग निर्देशिका

अनुक्रमिका


| क्र. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारं□ी योजना- एक परिचय** | |
| 2. | **मनरेगा अन्तर्गत किये जानेवाले विभिन्न कार्य** | |
| 3. | **मनरेगा अन्तर्गत योजना तैयार करने की प्रक्रिया, अनुमोदन एवं निधि प्रबंधन** | |
| 4. | **लेखा प्रक्रिया एवं अंकेक्षण** | |
| 5. | **कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, प्रगति प्रतिवेदन, डा□ा प्रविष्टि** | |
| 6. | **आक्समितता मद** | |
| 7. | **पर्यावरण एवं वन विभाग में गठित मनरेगा कोषांग** | |
| 8. | **कार्य की प्रक्रिया** | |
| 9. | **पौधारोपण का समय** | |
| 10. | **पौधा प्रजाति का चयन** | |
| 11. | **मानव दिवस का सृजन** | |
| 12. | **वनपोषकों का चयन एवं दायित्व** | |
| 13. | **वनपोषकों का लक्ष्य समूह** | |
| 14. | **अनुश्रवण एवं निगरानी** | |
| 15. | **सामग्री खरीद** | |
| 16. | **सिंचाई व्यवस्था** | |
| 17. | **मे□ रखने की प्रक्रिया** | |
| 18. | **मे□ का दायित्व** | |
| 19. | **पौधा क्षति होने पर पुनः पौधारोपण** | |
| 20. | **प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया** | |
| 21. | **योजना समाप्ति पर देखभाल** | |
| 22. | **विविध** | |

## महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

**1. एक परिचय:-**

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 दिनांक 25 अगस्त, 2005 से लागू की गयी है । दिनांक 2 अक्टूबर, 2009 से इसका नाम परिवर्त्तित कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया है । संक्षेप में इस योजना को मनरेगा योजना कहा जाता है ।

इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये स्कीम के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में सम्मिलीत रूप से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है ।

अधिनियम के अनूसूची-1 में निर्धारित निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का सम्पादन किया जाना है:-

(i) जल संरक्षण एवं जल संचय;

(ii) सुखा रोधी कार्य, वृक्षारोपण और वन संरक्षण सहित;

(iii) सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण;

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि के लिए सिंचाई का प्रसुविधा, बागवानी बगान और भूमि विकास का प्रसुविधा का उपबंध; परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्त पुरी करता हो, अर्थात:-

(क) व्यैष्टिक भूमि स्वामी कार्य कार्ड धारक हो और परियोजना में भी कार्य कर रहा हो

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए श्रमिक सामग्री का अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा

(ग) परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक शेल्फ का भाग होगी

(घ) कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी और

(ङ) कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी ।

(v) परंपरागत जल श्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी भी शामिल है;

(viii) गॉवों में सडकों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गॉवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके । सडक निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती है और गांव के भीतर सडकों के साथ-साथ नालियां भी बनाई जा सकती है;

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा उपर्युक्त प्राथमिकता क्षेत्र के सभी कार्य किये जा सकते हैं जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तकनिकी, वित्तीय एवं मौसमी व्यवहार्यता के आधार पर योजनाओं की संविक्षा कर उन्हें क्रियान्वयन निकाय बनाया जाता है ।

मनरेगा अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा क्रियान्वयन निकाय के रूप में जो कार्य किये जाऐगें उसके लिए राशि सीधे संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के मनरेगा के खाता में उपलब्ध कराई जाऐगी । ये कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमंडलोंद्वारा अपने अधिनस्थ पदाधिकारीयों एवं कर्मियों से अनुक्षवण एवं पर्यवेक्षण कराकर जॉब कार्ड धारियों के माध्यम से कराया जाऐगा ।

सामाजिक वानकी, वृक्षारोपण, मृदा-नमी संरक्षण, फार्म फॉरेस्ट्री एवं एग्रो फॉरेस्ट्री तथा वानस्पतिक खाद निर्माण इत्यादि से संबंधित कार्य पंचायत एवं अन्य निकायों द्वारा भी किया जाऐगा जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक के अनुरोध पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पदाधिकारीयों द्वारा तकनिकी पर्यवेक्षण एवं सहयोग किया जाऐगा ।

मनरेगा का मुख्य उदेश्य काम की माँग किए जाने के 15 दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराना है । वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण/पौधारोपण के अतिरिक्त अन्य कार्य करने में मौसमी व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से काफी कठिनाई है। ऐसे में अगर हर जगह पर आवश्यक मात्रा में वृक्षारोपण संबंधित योजनायें नहीं ली गई हो तो वर्षा ऋतु में रोजगार उपलब्ध कराने में काफी कठिनाई होगी । अतः मौसमी व्यवहार्यता के आधार पर इन माहों में वृक्षारोपण कार्यो को सर्वोच्य प्राथमिकता प्राप्त है ।

## 2. मनरेगा अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किये जानेवाले कार्य :-

### 2.1 कार्य की विवरणी:-

#### 2.1.1 वन क्षेत्रों के अन्दरः-

2.1.1. i अवकृष वनों का पुनर्वास कार्य ।

2.1.1. ii पूर्व के वृक्षरोपण स्थलों पर मृदा नमी संरक्षण कार्य, सुरक्षा एवं पौधों का संवर्द्धन कार्य।

2.1.1. iii वन क्षेत्रों में ट्रैंच घेरान के साथ-साथ मृदा-नमी संरक्षण कार्य ।

2.1.1. iv वन क्षेत्रों के अन्दर झील, तालाब एवं अन्य छो जल संरक्षण संरचना का निर्माण एवं पुनरूद्धार कार्य।

2.1.1.v वन क्षेत्र के अंर्तगत सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण ।

2.1.1.vi वन भूमि विकास कार्य ।

2.1.1.vii वन क्षेत्र के अतर्गत गॉवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हेतु सड़क निर्माण ।

**2.2 वन क्षेत्रों के बाहर:-**

2.2.1 सरकारी एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन बंजर एवं खाली पड़ी भूमि पर मृदा नमी संरक्षण कार्य, वानस्पतिक खाद के साथ वृक्षरोपण ।

2.2.2 नहर त बंध एवं नदी त बंध के किनारे वानस्पतिक खाद के साथ वृक्षरोपण कार्य ।

2.2.3 राष्ट्रीय, राज्य एवं अन्य पथों के किनारे वानस्पतिक खाद के साथ वृक्षरोपण ।

2.2.4 नदी के किनारे की खाली जमीन पर वानस्पतिक खाद के साथ वृक्षरोपण ।

2.2.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि पर कृषि वानिकी (फार्म फॉरेस्ट्री एवं एग्रो फॉरेस्ट्री) एवं वानस्पतिक खाद निर्माण ।

2.2.6 पौधशाला (किसान एवं विभागीय ) की स्थापना एवं वानस्पतिक खाद निर्माण ।

2.2.7 जल संरक्षण एवं मृदा नमी संरक्षण एवं वानिकीकरण से संबंधित अन्य कार्य ।

## 3. मनरेगा अन्तर्गत योजना तैयार करने की प्रक्रिया, अनुमोदन एवं निधि प्रबंधन:-

3.1 मनरेगा अंतर्गत मान्य पर्यावरण एवं वन विभाग की योजनाओं को मनरेगा के जिला वार्षिक कार्य योजना (Shelf of Projects) में शामिल करने की दो रीतियॉ है । प्रथम रीति योजनाओं का चयन, अनुमोदन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाना अथवा दो या दो से अधिक पंचायत के क्षेत्र वाली योजना को पंचायत समिति द्वारा पंचायत के प्रथिमिकता के बाद सामिल किया जाना । द्वितीय रीति जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आमंत्रित किऐ जाने पर सीधे उनहें

उपलब्ध कराना । जिला कार्यक्रम समन्वयक पंचायत द्वारा निर्धारित प्राथमिकता एवं उसके बाद पंचायत समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता को नहीं बदल सकते है । अतः आर्दशतः योजनाओं का चयन, अनुमोदन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाना श्रेयष्कर होगा ताकि उक्त योजना को जिला वार्षिक कार्य योजना (Shelf of Projects) में कार्यान्वयन हेतु उच्य प्राथमिकता मिल सके । विदित हो कि योजनाओं को काम के मॉग के अनुरूप Shelf of Projects में निर्धारित प्राथमिकता अनुसार क्रम वार शूरू किया जाना है ।

3.2 किसी वित्तीय वर्ष में ली जाने वाली पंचायत स्तर की योजनाओं का चयन, प्राथमिकता का निर्धारण एवं अनुमोदन उसके पूर्व वाले वर्ष के 2 अक्टूबर को निर्धारित ग्राम सभा में कर लिया जाना है । ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं को village shelf of projects में संकलित कर 15 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना है ।

3.3 ग्राम सभा से चयनित एवं अनुमोदित योजनाओं की संविक्षा संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा तकनिकी तथा मौसमी व्यवहार्यता एवं अधिनियम के अनुसूची**-1** के निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर की जानी है । इस कार्य में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सहयोग करेगें । कार्यक्रम पदाधिकारी संविक्षा के क्रम में मान्य नहीं पाये गये योजनाओं को वैध योजनाओं से बदलने के लिये ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायेगें । यह सारी कार्रवाई 15 नवंबर तक पुरी करते हुये सभी पंचायतो की village shelf of projects को संकलित करते हुये कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रखंड योजना, पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जानी है ।

3.4 पंचायत समिति द्वारा उपास्थापन के 15 दिनों के अंदर panchayat wise shelf of projects का अनुमोदन कर दिया जाना है । पंचायत समिति एक से अधिक पंचायतों के क्षेत्र में पडने वाली योजनाओं को जोड सकती है, परन्तु इस क्रम में वह पंचायतो द्वारा निर्धारित प्राथमिकता को बदल नहीं सकेगी । पंचायत समिति द्वारा पारित योजनाओं को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को 30 नवंबर तक उपलब्ध करा दिया जाना है ।

3.5 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारियों से प्राप्त block shelf of projects की संविक्षा की जाएगी तथा अन्य कार्यान्वयन निकायों से योजनाओं को आमंत्रित कर उनकी भी संविक्षा की जाएगी । संविक्षा तकनिकी, वित्तीय एवं मौसमी व्यवहार्यता के आधार पर की जायेगी । जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इन सभी योजनाओं को संकलित कर 15 दिसम्बर तक श्रम बज के साथ जिला परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जाना है । इस अवधी में वैसी योजनाओं जो किसी कारण वश पंचायत/पंचायत समिति द्वारा shelf of projects में शामिल नहीं कि जा सकी है को संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध करा देना होगा । वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तकनिकी मामलों में सहयोग किया जाएगा ।

3.6 जिला परिषद द्वारा 31 दिसम्बर तक block wise shelf of projects एवं श्रम बज पारित कर दिया जाना है ।

3.7 जिला परिषद से block wise shelf of projects एवं श्रम बज पारित कर दिये जाने के उपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कराया जाएगा तथा तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति करायी जाएगी । वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र की योजनाओं को संक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध करायेगें । प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी सभी कार्रवाई भी 31 दिसम्बर तक पुरी कर ली जानी है । मनरेगा अंतर्गत पारित सभी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जानी है । इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी योजना जिसे प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है का कार्यान्वयन शुरू कराया जा सकता है । योजना तभी शुरू की जायेगी जब प्राथमिकता सूची से काम की मांग के आलोक में क्रम वार इसके उपर की सभी योजनाओं को शुरू कर दिया गया है एवं तबभी काम की मांग पूरी नहीं हुई हो । योजना शुरू करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा ।

3.8 मनरेगा अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं योजना के क्रियान्वयन निकाय का चयन दो अलग-अलग कार्य है । योजनाओं का चयन / अनुमोदन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा किया जाता है । क्रियान्वयन ऐंजेसीं का चयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा की मार्गनिर्देशिका, 2008 के कंडिका 6.3.3.i के अनुसार क्रियान्वयन निकाय के तकनिकी कार्यदक्षता संबंधी संसाधन,सासमय कार्य पूर्ण करने की क्षमता एवं इससे संबंधित प्रमाणित अनुभव के आधार पर किया जाना है जिसके लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक जिम्मेवार है । जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा हर कार्य के लिए क्रियान्वयन निकायों का पैनल प्राथमिकता के साथ तैयार किया जाना है ।

3.9 योजना में उद्देश्य, कार्य स्थल यथा ग्राम पंचायतवार खाता, खेसरा, रकबा/रैखिक लम्बाई, प्रखण्ड का नाम, जिला का नाम, कार्य की विवरणी एवं प्राक्कलन संलग्न किया जाना चाहिए। योजना से होनेवाले लाभ, सृजित होनेवाले मानव दिवस, माहवार राशि की आवश्यकता, रख-रखाव आदि की पूरी विवरणी दी जानी चाहिए । सभी योजनाओं का unique location code होगा ।

3.10 यदि योजना क्षेत्र एक से अधिक पंचायत क्षेत्र में अवस्थित है तो पंचायतवार रकबा/रैखिक लम्बाई एवं आवश्यक निधि की तालिका संलग्न की जानी चाहिए।

3.11 वृक्षारोपण संबंधी योजना पूरे पाँच वर्ष की अवधि की बनाई जायेगी जिसमें वर्षवार एवं माहवार कार्य का ब्योरा एवं आवश्यक राशि अंकित रहेगी।

3.12 काम की माँग होने पर निर्धारित प्राथमिकता सूची से क्रमवार मांग की मात्रा के आधार पर योजनाएं शुरू की जानी है । यहां उल्लेखनीय है कि मौसमी व्यवहार्यता के आलोक में कुछ अवधि (वर्षा ऋतु) में वानिकी, वृक्षारोपण, Agro forestry ,

Horticulture इत्यादि से संबंधित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है । जिन योजनाओं के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग क्रियान्वयन निकाय हैं उनका क्रम आते ही संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कार्य शूरू करने के अनुरोध के साथ आवश्यक मात्रा में मस□र रौल संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला पदाधिकारी को तुरंत दी जाऐगी । पौधा रोपण कार्य में पौधा रोपन के पूर्व preparatory कार्य भी किऐ जाने है जिन्हें वर्षा के पूर्व कर लिया जाना है । इसलिए वर्षाऋतु में संभावित काम की मॉग के आकलन के आधार पर कार्यक्रम पदाधिकरी पौधारोपन संबंधी योजनाओं को वर्षाऋतु के आगमन के पूर्व ही शूरू कराने हेतु अनुरोध संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को करेगें तथा साथ में आवश्यक मात्रा में मस□र रौल भी उपलब्ध करायेगे । इसकी सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला पदाधिकारी देगे ।

3.13 कार्यक्रम पदाधिकारी से शूरू किऐ जाने वाले प्रत्येक योजना संबंधी उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक योजना का चार माह तक कार्य किऐ जाने हेतु आवश्यक राशि सीधे संबंधित बन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा मनरेगा हेतु अलग से खोले गये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के CBS खाता में हस्तांतरित किया जायेगा । उक्त खाता संबंधित सभी सूचना CPSMS अंतर्गत निबंधित किया जायेगा । प्रथम किश्त के दो माह कि राशि के व्यय हो जाने संबंधी सूचना nrega.nic.in से प्राप्त होने पर अगले दो माह के लिए आवश्यक राशि निधि प्रबंधक द्वारा बन प्रमंडल पदाधिकारी के मनरेगा के खाता में हस्तांतरित किया जायेगा । इसके लिये अलग से कोई राशि की अधियाचना की आवश्यकता नहीं है । निधि प्रबंधक हर सप्ताह nrega.nic.in पर इसका अनुश्रवण करेगें । राशि की उपयोगिता के तौर पर nrega.nic.in से संबंधित प्रतिवेदन डाउनलोड कर निधि प्रबन्धक द्वारा अलग संचिका में संधारित किया जायेगा । nrega.nic.in पर व्यय संबंधित डा□ा की प्रविष्□ी नहीं पाये जाने पर अगले किश्त की राशि उपलबध नहीं कराई जाएगी । वन प्रमण्डल पदाधिकारी समय – समय पर nrega.nic.in पर upload किये गये डा□ा की समीक्षा करेंगे । Upload किये गये डा□ा की accuracy की जवाबदेही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी की होगी तथा उनके द्वारा हर माह के अंत में इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध कराया जायेगा ।

3.14 मस□र रोल से संबंधित पंजी विहित प्रपत्र में क्रियान्वयन निकाय द्वारा संधारित की जायेगी ।

3.15 कार्य शुरू करने का अनुरोध एवं मस□र रॉल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ किया जाएगा । वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करा कर योजना का कार्य पूर्ण करावेंगे ।

3.16 मनरेगा अंतर्गत निबंधित मजदूरों से हीं काम लिया जाना है । वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इच्छुक मजदूरों के आवेदन को निबंधन हेतु संबंधित पंचायत रोजगार सेवक / कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं । संबंधित पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा ।

3.17 योजना के प्रगति से संबंधित पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/ अन्य प्राधिकृत विभागीय पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से तैयार कर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं वन संरक्षक कार्यालय को जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा । वन संरक्षक के माध्यम से यह प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक के पास समेकित होकर मुख्यालय में गठित मनरेगा कोषांग को समर्पित किया जाएगा । मनरेगर कोषांग द्वारा संकलित प्रतिवेदन की प्रतियॉ पर्यावरण एवं वन विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी ।

3.18 वन प्रमंडल कार्यालय द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूरों के बैंक/पोस्ट ऑफिस के बचत खाता में किया जाएगा ।

3.19 ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले सभी योजनाओं का जांच / निरीक्षण एवं मूल्यांकन ग्राम स्तर के गठित निगरानी समिति द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन मार्गनिर्देशिका के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा ।

3.20 ग्राम सभा द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन मार्गनिर्देशिका के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आने वाले पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा क्रियान्वित कि जा रही योजनाओं का समाजिक अंकेक्षण किया जायेगा । सामाजिक अंकेक्षण हेतु सभी सूचना nrega.nic.in से प्राप्त कर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । समाजिक अंकेक्षण के अवसर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे ।

3.21 पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित कि जा रही योजनाओं की निरीक्षण/जाँच भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन मार्गनिर्देशिका तथा विभागीय निदेश के तहत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगा ।

## 4. लेखा प्रक्रिया एवं अंकेक्षण:-

भारत सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के मार्गदर्शिका,2008 में निर्धारित लेखा पद्धति के अनुसार मनरेगा संबंधी कार्यो का लेखा अलग से तैयार किया जायेगा एवं मनरेगा के लिए चयनित अंकेक्षक द्वारा लेखा का अंकेक्षण किया जाएगा।

5. **कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, प्रगति प्रतिवेदन, डा□ा प्रविष्टि एवं** कार्यों की गुणवत्ता की जाँच एवं मूल्यांकन मनरेगा योजना अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा के अद्यतन मार्गनिर्देशिका के तहत□निर्धारित प्रवधानों के अनुसार किया जाएगा । विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं उत्तरोत्तर सुधार हेतु मूल्यांकन कर निर्धारित समय पर प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा ।

साप्ताहिक मस□र चक्र (कार्य सोमवार को शुरू, शनिवार को बन्द । नापी सोमवार तक । nrega.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि मंगलवार तक । भुगतानादेश संबंधित बैंक / पोस□ ऑफिस को मंगलवार तक । ) का अनुसरण करते हुए योजना के प्रगति से संबंधित मस□र रोल एवं अभिश्रव की प्रविष्टिी मनरेगा के MIS में ऑनलाईन की जाएगी । मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान हेतु एडवाइस भी मनरेगा के MIS से ही generate किया जायेगा ।

**6. आक्सिमकता मद :-**

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में व्यय की गयी राशि का 3% आक्सिमक्ता मद की राशि होगी । मुख्य तौर पर इस राशि का उपयोग nrega.nic.in में ऑनलाईन प्रविष्टि करने हेतु किया जायेगा । इस कार्य हेतु कम्प्यु□र, कम्प्यु□र ऑपरे□र, इण□रने□ कनेक्ि□वि□ी (ब्रोड बैंड) आदि की व्यवस्था उक्त राशि से की जायेगी । इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मनरेगा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुसाध्य बनाने हेतु आक्सिमक्ता मद में उपलब्ध शेष राशि हर स्तर पर किस उपयोग में लाया जाएगा इसका निर्धारण पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा । वर्ष के अंत में उपयोग में नहीं लायी गयी आक्सिमकता मद की अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष के योजना की राशि में समाहित हो जायेगी । आक्सिमक्ता मद की राशि से जमीन, वाहन, मशीनरी आदि का क्रय नहीं किया जाएगा ।

**7. पर्यावरण एवं वन विभाग में गठित मनरेगा कोषांग:-**

विभाग में मनरेगा अंतर्गत सुखारोधी (वानिकी एवं वृक्षारोपण) इत्यादि क्रियान्वित योजनाओं के समन्वय, अभिसरण एवं अनुश्रवण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के नेतृत्व में निम्नवत मनरेगा अभिसरण कोषांग (पर्यावरण एवं वन विभाग) का गठन किया जाता है:-

**(क) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार - अध्यक्ष।**

**(ख) मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार - सदस्य।**

**(ग) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन - सदस्य ।**

**8. कार्य की प्रक्रिया:-**

**8.1 वन क्षेत्रों के लिए:-**

वन क्षेत्रों के लिए कंडिका 2(क) के तहत □ली जानेवाली योजनाओं का सूत्रण वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर पर विभागीय मानक कार्य दर के अनुसार स्थल विशेष की आवश्यकता यथा- सुरक्षा, संरक्षण, संवर्द्धन के साथ-साथ मृदा-नमी जल संरक्षण कार्य उपायों को समाहित कर किया जायेगा।

**8.2 वन क्षेत्र के बाहर की भूमि पर वानिकीकरण इत्यादि के लिए:-**

**8.2.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि पर ब्लॉक वृक्षारोपण:-**

वन सीमा से स□ या आसपास उपरोक्त गृहस्थियों / कृषकों की बंजर एवं अनुत्पादक भूमि पर ब्लॉक वृक्षरोपण के लिए स्थल विशेष की जलवायु के अनुसार उपर्युक्त वृक्ष प्रजाति का चयन कर वृक्षरोपण की समग्र योजना मृदा-नमी-जल संरक्षण कार्यों के साथ विभागीय मानक अनुसूचित दर पर तेयार किया जाना चाहितए। इसके तहत □किसान की सहभागिता आवश्यक होगा। छो□-छो□ रकबा का क्षेत्र होने पर कार्य की सफलता में कठिनाई की आशंका बनी रहती है इसलिए किसानों का समूह बनाकर समेकित योजना लिया जाना श्रेयस्कर होगा। यदि ऐसा सम्भव नहीं होता तो नीचे के कंडिका में अंकित व्यक्तिगत लाभ की योजना के प्रावधान इसमें लागू होंगे।

**8.2.2 दलित-महादलित □ोलों में वृक्षरोपण:-**

दलित-महादलित □ोलों में □ोला के आसपास की जमीन पर 200 फलदार पौधा का रोपण किया जाना चाहिए। पौंधों की सिंचाई के लिए एक चापाकल की व्यवस्था रहेगी एवं 200 पौधा की सुरक्षा, संरक्षण, सिंचाई, कोड़नी-निकौनी आदि कार्य के लिए 5 वर्ष तक मानव दिवस स्वीकृत किया जायेगा।

**8.2.3 पथ त□, नहर त□, त□बंध, नदी के किनारे, सरकारी भूमि पर वृक्षरोपण:-**

8.2.3.i राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य पथ, नहर किनारे एवं नदी त□बंध पर वृक्षरोपण की जिम्मेवारी पर्यावरण एवं वन विभाग की है। इससे भिन्न स्थानों पर सामाजिक वानिकी अन्तर्गत वृक्षरोपण का दायित्व सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत को प्रतिनिधानित किया गया है।

8.2.3.ii वन प्रमंडलों द्वारा उन्हें दी गयी जिम्मेवारी के तहत कर्णांकित भूमि पर वृक्षरोपण किया जायेगा। यदि इससे भिन्न किसी अन्य स्थान पर वृक्षरोपण का अनुरोध जिला पदाधिकारी से प्राप्त होता है तो विभाग द्वारा

अन्य स्थलों पर भी वृक्षरोपन किया जा सकता है परन्तु अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए कर्णाकिंत स्थलों पर वृक्षारोपण नये सिरे से नहीं किया जायेगा । जहॉ पर वृक्षारोपण पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु कर्णाकिंत भूमि पर अन्य क्रियान्वित निकायों द्वारा किया जा चुका है वहॉ पर योजना के समाप्ति तक यथा स्थिति बनी रहेगी, परन्तु इन योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

8.2.3.iii जहॉ पर एक पंक्ति के लिए ही जमीन उपलब्ध है वहॉ पर उस पंकित में फलदार पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी। पौधों के बीच की दूरी 6 मी□र रखी जायेगी।

8.2.3.iv जहॉ पर दो पंक्ति के लिए सड़क किनारे जमीन उपलब्ध है वहॉ पर प्रथम पंक्ति में छो□ी उंचाई के सदाबहार हरे ओरनामें□ल फूल वाले प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा एवं द्वितीय पंक्ति में स्□गर्ड तरीके से फलदार पौधों का रोपण किया जायेगा।

8.2.3.v तीन पंक्तियों के लिए जमीन उपलब्ध होने पर सड़क किनारे पहली पंक्ति में सदाबहार ओरानामें□ल, दूसरी पंक्ति में फलदार एवं तीसरी पंक्ति में काष□ जनित लम्बी उम्र वाले ikS/kksa का रोपण किया जायेगा।

8.2.3.vi प्रजाति का चयन स्थानीय जलवायु, मिट्□ी एवं स्थल की प्रकृति के आधार पर किया जायेगा।

8.2.3.vii नहर एवं नदी किनारे विशेष सतकर्त्ता के साथ व्यावसयिक एवं काष्ठ जनित पौधों का रोपण किया जायेगा। नहर एवं त□बंध की मजबूती एवं मृदा क्षरण रोकने वाली जगह पर विशेष रूप से मिट्□ी पकड़ने वाले पौधों यथा बांस एवं अन्य झाड़ीदार पौधों का रोपण किया जायेगा।

8.2.3.viii बड़े पौधों के लिए 60x60x60 सें□ीमी□र तथा छो□ी पौधों के लिए 30x30x30 सें□ीमी□र का पी□ बनाने का प्रावधान किया जायेगा।

8.2.3.ix राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे सड़क के EDGE OF SHOULDER से 6 मी□र के बाद या सड़क के TOE के त□बंध से 1 मी□र बाद में प्रथम पंक्ति का पौधारोपण किया जायेगा।

8.2.3.x बाढ़ संरक्षण बांध से नदी तरफ 3 मी□र पर बांस का पौधा एवं मिट्□ी बांधने वाली छो□ी ऊंचाई के झाड़ीदार पौधों को प्राथमिकता दी जायेगी। बांस रोपण के लिए 60x60x60 मी□र का पी□ खोदा जायेगा जिसके चारो किनारे पर चार पौधा तथा बीच में एक पौधा यानि प्रत्येक पी□ में पाँच

पौधो का रोपण किया जायेगा ताकि बांस का झाड़ जल्द स्थापित हो सके। एक पी□ से दूसरे पी□ की दूरी 4 मी□र रखी जायेगी।

8.2.3.xi अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गृहस्थियों या गरीबी रेखा से नीचे या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु कृषक या सीमांत कृषकों की स्वामित्वाधीन भूमि से प्रति यूनि□ रकबा से एक ही समय में अधिकतम उत्पादन के उद्धेश्य से उनकी पर एग्रो फॉरेस्ट्री तथा एग्रोसिल्भी–हॉर्टी मॉडल अपनाने की सलाह दी जाएगी । पहले मॉडल में कृषि फसल के साथ-साथ मेढ़ पर या खेती के बीचोबीच वृक्ष लगाया जायेगा तथा दूसरे मॉडल में कृषि फसल, वृक्ष तथा फलदार पौधा एक साथ लगाया जायेगा । इन्हें व्यक्तिगत लाभ की योजना मानते हुए किसानो को अच्छी गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें रोपित करने, सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु तकनीकि मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा । इसके लिए पालेकर मॉडल का जहाँ तक सम्भव हो उपयोग किया जाएगा । इसके साथ-साथ खाद, की□नाशक आदि की आपूर्ति योजना से की जायेगी । किसान कृषि फसल के साथ-साथ इन पौधों का भी देखभाल स्वंय करेंगें । यदि ग्रुप में किसानों द्वारा योजना अपनाया जाता है तो 200 पौधों पर एक मानव दिवस का प्रावधान रखा जाएगा।

## 9. पौधा रोपण का समय :-

सामान्यत: पूरे राज्य में पौधा-रोपण का सर्वाधिक उपयुक्त समय मानसून की अवधि है, अत: पौधारोपण प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से 15 अगस्त तक की अवधि के बीच अवश्य सम्पन्न किया जाना चाहिए । उक्त अवधि में मौसमी आधार पर काम की मांग होने पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इन कायों को शुरू किया जा सकता है । यदि मानसून की वर्षा विलम्ब से या अगस्त माह बाद हो रही है तो पौधारोपण की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । उत्तरी बिहार में अथवा अन्य जगहों पर जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा के कारण जल-जमाव या बाढ़ की स्थिति बनती है, वहां वसन्त ऋतु में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा ।

## 10. पौधा प्रजाति का चयन :-

सामाजिक वानिकी/ बागवानी के लिए पौधो का चयन करने में बहुत सावधानी बरतने की जरुरत है। वहां के वातावरण, मिट्□ी, जल की उपलब्धता आदि के अनुसार ही पौधो की प्रजातियों का चयन होना चाहिए। बागवानी मिशन के अनुसार आम, लीची, अमरुद, जामुन, शरीफा, अनार, सहजन, नींबू तथा क□हल उत्तर बिहार के लिए उपयोगी फलदार पौधा है। दक्षिण बिहार में आम, अमरूद, जामुन, सपो□ा, अनार, सहजन, नींबू, क□हल आदि लगा सकते है।

## 11. मानव दिवस का सृजन :-

11.1 एक मानव दिवस के सृजन का अर्थ है कि साप्ताहिक मापी में 90 प्रतिशत से अधिक पौधा को जीवित एवं सुरक्षित रखा जाना। 75 से 89 प्रतिशत के बीच पौधा जीवित एवं सुरक्षित रहने की स्थिति में इसे आधा मानव दिवस माना जायेगा। व्यक्तिगत लाभ के पौधारोपण में भी यही मानक लागू रहगा।

11.2 दक्षिण बिहार के लिए 75 प्रतिशत से ज्यादा पौधा जीवित, सुरक्षित एवं स्वस्थ रहे तो एक मानव दिवस माना जायेगा तथा 65 से 74 प्रतिशत के बीच रहने पर इसे आधा मानव दिवस माना जायेगा। व्यक्तिगत लाभ के पौधारोपण में भी यही लागू रहेगा।

## 12. वन पोषकों का चयन एवं दायित्व :-

12.1 हर इकाई के लिए यथा संभव एक ही समुदाय का चार परिवार संलग्न रहेगा। परिवार के पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है।

12.2 पौधारोपण जिस स्थान पर होगा उसी क्षेत्र के आसपास के परिवारों का समूह बनाना है।

12.3 हर समूह में यथा सम्भव हर 3 इकाई के लिए 12 परिवारों का एक समूह को संलग्न करना आवश्यक है।

12.4 हर 4 परिवार आपस में विचार कर साप्ताहिक मासिक रोस□र के अनुसार एक इकाई के पौधा की देखभाल करेगें। इसके लिए विभागीय पदाधिकारी सहयोग करेंगें तथा हर परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार देना सुनिश्चित करेगें। समूह को आपस में रोस□र तैयार करने में कठिनाई हो तो वनो के क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल द्वारा लौ□री निकालकर हर परिवार को देखभाल के लिए रोस□र तैयार कर दीया जायेगा।

12.5 जो परिवार नियमानुसार उत्तर बिहार में 75 प्रतिशत तथा दक्षिण बिहार में 65 प्रतिशत से अधिक पौधो को जीवित नहीं रख पायेंगें उनके स्थान पर ग्राम सभा द्वारा उसी क्षेत्र/समुदाय के अन्य परिवार को रखा जायेगा।

## 13. वन पोषक का लक्ष्य समूह :-

13.1 दलित/महादलित इच्छुक परिवारों के बृद्ध, अपंग, विधवा एवं महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि ऐसा परिवार नहीं मिले तो अन्य भूमिहीन मजदूर वर्ग इस काम में शामिल होंगें।

13.2 200 फलदार पौधा के लिए 4 परिवार या 600 फलदार पौधों के लिए 12 लक्षित परिवार पौधारोपण के दिन से 5 साल देखभाल हेतु एक समूह बनाया जायेगा जिसमें सिर्फ वृद्ध, महिला विधवा एवं अपंग को प्राथमिकता दी जाएगी। लकडी पौधारोपण में चौथे साल से पाँचवें वर्ष तक संरक्षण के लिए 800 पौधों के

देखभाल हेतु एक ही समुदाय के चार परिवारों को वनपोषक के रूप में चयन किया जायेगा। बाँस के लिए 4000 पौधा एक इकाई माना जाएगा।

**14. अनुश्रवण एवं निगरानी :-**

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मनरेगा की योजनाओं का अनुश्रवण एवं निगरानी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मनरेगा योजना के अद्यतन मार्गनिर्देशिका के अनुसार किया जायेगा ।

**15. सामग्री खरीद :-**

सामग्रियों की खरीद बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 के तहत किया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से नियम 131 सी. तथा 131 जी. के तहत कार्रवाई की जाएगी । क्रय किये गए सामग्री के अभिश्रव को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा । उच्च गुणवत्ता के सामग्रीयों का क्रय ससमय किया जाना चाहिए । संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक इसे सुनिश्चित करायेंगे । इसके लिये जरूरी है कि मई-जून माह में हीं सभी स्थानीय पौधशालाओं से समन्वय कर पौधों के उठाव के तैयारी कर ली जाय । इस कार्य हेतु Horticulture Department से हीं समन्वय कर उनके संसाधनों का भी उपयोग किया जाय ।

**16. सिंचाई व्यवस्था :-**

इस योजनांतर्गत सिंचाई की व्यवस्था के लिए चापाकल लगाना है और जहाँ चालाकल नहीं गाड़ा जा सकता है, वहाँ दूर से पानी लाकर सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ गोबर, खाद (व्यापक मात्रा में वानस्पतिक खाद) एवं कीनाशक की व्यवस्था की जायेगी ।

**17. मे रखने की प्रक्रिया :-**

17.1 40 वनपोषकों के लिए एक मे रखा जायेगा और मे रखने हेतु पृथक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। इस प्राक्कलन में 40 पौधारोपण इकाई की विवरणी आवश्यक है । इसे अभिलेखों की संख्या के साथ दिया जाना है ।

17.2 मे का चयन ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2007 में दिये गये दिशानिदेश एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

**18. मे का दायित्व :-**

18.1 मे□ द्वारा समूह के सभी सदस्यों को निर्धारित कार्य क्षेत्र, रोस्□र की अवधी, नयूतम मजदूरी प्राप्त करने हेतु कितने पौधों को जीवित रखना है, इत्यादि से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराना ।

18.2 प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होने के समय समस्त मजदूरों की हाजरी लेना एवं मस्□र रौल संधारण करना तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्त्ता को मस्□र रौल उपलब्ध कराना ।

18.3 विहित प्रपत्र में हर सप्ताह पौधा का आकलन कर वनपाल को प्रतिवेदन देना ।

18.4 एक परिवार के 100 दिवस की मजदूरी की पात्रता पूर्ण होने पर जॉव कार्ड में लाल स्याही से अंकित करना ।

18.5 फस्□-ऐड-बॉक्स रखना । FIRST AID BOX में परिवार कल्याण का सामान यथा-निरोध (कंडोम), पिल्स एवं अन्य आवश्यक दवायें जो आशा कार्यकत्ता के पास उपलब्ध रहता है उसे भी उपलब्ध कराया जायेगा ।

18.6 लाभार्थियों द्वारा पौधों की समुचित रख-रखाव की प्रक्रिया यथा-खाद डालना, की□ से बचाव हेतु की□नाशक डालना, प□वन कराना तथा मृत पौधों को बदलाव कराने पर परामर्श देना ।

18.7 लाभार्थियों का डाकघर / बैंक में बचत खाता खोलवाना ।

18.8 लाभूकों को समय पर भुगतान कराने हेतु वनपाल को सहयोग करना ।

18.9 हर सप्ताह मृत पौधों के स्थान पर पौधारोपण करवाना ।

18.10 दूसरी किस्त देने के पहले लाभार्थी से आवेदन पत्र लेकर उसका स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करते हुए वनपाल / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से सत्यापित कराकर डाकघर या बैंक से भुगतान कराना ।

18.11 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी / वनपाल द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन करना।

18.12 वनपोषक के विश्राम के अवधि में मे□ द्वारा उन्हें साक्षर बनाने (हस्ताक्षर करने से लेकर पढ़ाई लिखाई करने तक) का काम किया जायेगा । इसके लिए आवश्यक स्ले□ एवं अन्य सामग्री योजना के 3 प्रतिशत आकस्मिक मद से मे□ को उपलब्ध कराया जायेगा ।

मे□ द्वारा वन पोषकों को परिवार नियोजन, □ीकाकरण के फायदों तथा बाल विवाह एवं शराब सेवन के बुराईयों के बारे में भी बताया जाएगा ।

**19. पौधा की क्षति होने पर पुनः पौधारोपण करने के संबंध में :-**

19.1 बाढ़, सुखाड़, आपदा तथा नील गाय या अन्य प्राकृतिक प्रकोप से पौधा की क्षति होने पर उस स्थान पर पुनः पौधारोपण किया जायेगा । पुनः पौधारोपण करने के पहले क्षति का फो□ोग्राफ संबंधित वनपाल द्वारा लिया जायेगा एवं क्षति का सत्यापन वनो के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

19.2 पुनः पौधारोपण में जो खर्च होगा वह इस योजना के आकस्मिक मद से या योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराकर वहन किया जायेगा ।

19.3 75 प्रतिशत से कम पौधा क्षति होने पर उस स्थान पर वनपोषकों द्वारा पुनः पौधारोपण योजना की राशि से किया जायेगा और इसीतरह दो बार पौधारोपण करने पर संबंधित मे□ एवं वनरक्षी को बदल दिया जायेगा ।

19.4 किसी जगह में मे□ अथवा विभागीय कर्मियों की लापरवाही से कोई सड़क की दूरी या कैनाल / बाँध पर सही ढंग से पौधा नहीं लगाने पर होने वाली क्षति के लिये संबंधित व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी और ऐसी क्षति में पुनः पौधारोपण सही ढंग से संबंधित योजना स्थल पर किया जायेगा।

## 20. प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया :-

20.1 सामाजिक वानिकी के अंतर्गत पथ त□, नहर त□, त□बंध, किसानों की जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये Schedule Of Rates के आधार पर किया जाएगा।

20.2 वन क्षेत्रों के अंतर्गत की योजनाओं का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग के Schedule Of Rates में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर किया जायेगा ।

20.3 विभिन्न कार्यो का Schedule Of Rates अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय से निर्गत किया जायेगा । जब-जब भारत सरकार / ग्रामीण विकास विभाग / श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी का दर पुनरीक्षण होगा, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार द्वारा संशोधित Schedule Of Rates जारी किया जायेगा ।

20.4 हर अभिलेख में प्रशासनिक स्वीकृति देने के पहले वनपोषक का नाम लिखना सुनिश्चित किया जायेगा ।

20.5 लकड़ी पौधा के लिए 800 पौधा के गुणक पर एक प्राक्कलन तैयार किया जाय ताकि दो साल के बाद तीसरे से पाँचवें वर्ष की अवधि में 800 पौधा की 4 यूनि□ एक यूनि□ में परिवर्तित आसानी से हो सके ।

20.6 बाँस पौधारोपण में 4000 के गुणक पर बाँस के पौधों के लिए एक प्राक्कलन तैयार किया जाय ताकि तीन साल के बाद में 4000 पौधा की 4 यूनि॰ एक यूनि॰ में आसानी से परिवर्त्तित हो सके ।

20.7 फलदार पौधा के लिए यथा सम्भ्व 600 यूनि॰ प्राक्कलन में रखा जाय ताकि 12 परिवार का एक महिला समूह लगातार 5 साल तक काम कर सके ।

**21. सरकारी भूमि पर वृक्षरोपण की योजना के समाप्ति के उपरांत देखभाल किया जाना :-**

इस संबंध में विस्तृत निर्देश बाद में जारी किये जायेंगें।

**22. विविध:-**

योजना से संबंधित जानकारी एक ॰॰ल फ्री नम्बर-1800-353-22-44 डायल कर प्राप्त की जा सकती है। इस ॰॰ल फ्री नम्बर पर काम की मांग हेतु आवेदन तथा मनरेगा संबंधी शिकायत भी ली जाती हैं ।